विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 08.02.2019 को मुख्य आउट फॉल ड्रेन/सिवरेज STP से निकलने वाले शोधित जल का उपयोग सिंचाई एवं कृषि कार्य में करने संबंधी कार्य योजना तैयार करने के संबंध में विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक–15.01.19 को आयोजित बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं एवं Consultant द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. यह बताया गया कि पटना शहर में निर्मित/निर्माणाधीन STP के शोधित जल को Canal System में ले जाने हेतु पूर्व में जो DPR ₹357.00 करोड़ का बनाया गया था उसमें items का दर झारखण्ड सरकार का लिया गया था क्योंकि बिहार सरकार द्वारा उन items का दर निर्धारित नहीं है। इसमें पाईप की quality में मानक के अनुसार सुधार किया गया है और सम्पूर्ण DPR लगभग ₹522.00 करोड़ का बना है। बताया गया है कि non scheduled item का दर quotation के आधार पर लिया गया है।

3. यह भी बताया गया है कि बेऊर STP के पास intake well और sump house बनाकर pressure pipe के जरिये खेतों तक शोधित जल ले जाना ही बेहतर विकल्प होगा क्योंकि बादशाही नाले में शोधित जल प्रवाहित होने के पश्चात् उसमें पुनः गंदगी आ सकती है जो कृषि कार्य के लिए हानिकारक हो सकती है। सैदपुर, पहाड़ी, करमलीचमक एवं कंकड़बाग STP से निकलने वाले शोधित जल को पूर्व में निर्मित DPR के अनुसार ही बादशाही नाले के Route के अनुसार खेतों तक पहुँचाया जाएगा। दीघा के STP से निकलने वाले शोधित जल को pressure pump के माध्यम से पाईप के जरिये पटना कैनाल के समानान्तर 45 कि०मी० आगे रेवा command system में ले जाया जाएगा, जहाँ पहले से सिंचाई का Canal System बना हुआ है।

4. प्रस्तुतीकरण के पश्चात् निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) DPR में non scheduled items का दर quotation के आधार पर लिया गया है। इसलिए इसके लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाए। 15 दिनों के अंदर tender final कर lowest दर दाता के आधार पर दर निर्धारित कर तद्नुसार DPR को अंतिम रूप दिया जाए तथा अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(ii) पाईप के लिए मूल DPR के दर को लिया जाए, जो drinking water के मानक पाईप के अनुसार है। मौनसून season में जब खेतों को जल की आवश्यकता नहीं होगी, उस समय यदि पाइप में गैस भरने की आशंका हो तो नियमित अंतराल पर valve लगाने का प्रावधान किया जाय।

(iii) लघु जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि बाढ़, मोकामा, भागलपुर, सुलतानगंज, नवगछिया एवं छपरा शहरों में निर्माणधीन STP से शोधित जल को खेतों तक पहुँचाने हेतु

DPR बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि इसके लिए cost benefit का आकलन भी कर लिया जाय।

(iv) समिति की अगली बैठक 28 फरवरी, 2019 को निर्धारित की गई जिसकी सूचना अलग से भेजी जायेगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई

विश्वासभाजन,

(सुभाष शर्मा),
विकास आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 1090 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–13/02/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं जल संसाधन विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 1090 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–13/02/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/2/2019

सरकार के प्रधान सचिव।